राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स.3(3)(02)स्था/मंत्रा/अभि/2020/5314-30 दिनांकः- 17.06.21

-: नियुक्ति आदेश :-

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020-NJRs जयपुर दिंनाक **15.05.2021** के द्वारा एंव परिपत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित (689) पदो में से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु **13 अभ्यर्थी** आवंटित करने के फलस्वरुप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियो को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(Probationer-Trainee)** के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह एंव परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथी	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	4831	श्री नीरज शर्मा	श्री घनश्याम शर्मा	26-07-1998	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर प्रथम
2.	4857	श्री अविनाश शर्मा	श्री दिलिप कुमार	01-01-1987	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
3.	4919	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	श्री उम्मेद सिंह	28-08-1995	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., बीकानेर
4.	4930	श्री सतीश चन्द	श्री भगवानदास	25-05-1990	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
5.	4966	श्री श्याम मोहन शर्मा	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	25-06-1994	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
6.	5005	श्री राजेश मथुरिया	श्री राधेश्याम मथुरिया	23-02-1992	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
7.	5048	श्री विनोद कुमार शर्मा	श्री कैलाश चन्द शर्मा	09-07-1993	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर प्रथम
8.	5075	श्री अजीत सिंह	श्री नरपत सिंह	05-07-1995	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
9.	7083	श्री सुरेन्द्र यादव	श्री भगवान सहाय यादव	30-07-1997	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर देहात

17/6

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथी	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
10.	7106	श्री राज कुमार बुगालिया	श्री भगवाना राम	15-07-1994	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ.,अजमेर
11.	7108	श्री सुरेश चौधरी	श्री गोपाल लाल चौधरी	25-11-1990	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर देहात
12.	19989	श्री नवीन कोटिया	श्री कैलाश चन्द	17-05-1992	O_SC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर प्रथम
13.	24675	श्री रामलाल मीणा	श्री कैलाश चन्द मीणा	13-07-1996	O_ST	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 1(2)एफडी/ रूल्स/06 दिंनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिंनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– **(Fixed Remuneration)** प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(Probationer-Trainee)** अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिंनाक से 3 सप्ताह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
4. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
5. परीविक्षा काल **(Probation-Period)** में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

Sanjeev/Jr.asstt.2020/NJRs

7. उपरोक्त आवंटित 13 अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा–2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित (689) पदो में से अभियोजन विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिको के समनुरूप होगी। उक्त अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

8. परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एंव गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त कार्मिको पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनाक 28.01.04 एंव 27.03.04 संशोधित आदेश दिंनाक 30.10.17 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेशंन योजना के प्रावधान लागू होगें एंव अन्य प्रवर्तनीय ओदश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगें।

11. उक्त नियुक्तियो पर वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रंमाक एफ.6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होगें एवम वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रंमाक एफ.6 (5) वित्त/नियम/ 99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।

12. उक्त नियुक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

13. अभ्यर्थियों को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

14. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।

15. उक्त अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एंव पूर्ववृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरित तथ्य पाये जाते है तो चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का राज्य सरकार/विभाग को अधिकार होगा।

16. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐ एंव संलग्नित किये गये दस्तावेजो में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

17. उपरोक्त अभ्यर्थियों से इनके गृह जिले के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से online जारी की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तथा विभाग द्वारा इनकी चरित्र

सत्यापन रिपोर्ट उप महानिरीक्षक, पुलिस सी.आई.डी.(इन्टेलीजेन्स) राजस्थान जयपुर के माध्यम से भिजवाने हेतु सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षको को पत्र प्रेषित किये जा चुके है। यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन है।

18. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

19. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

20. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

sd/-

(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यार्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें। तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर शहर द्वितीय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द कनिष्ठ सहायक को अग्रिम आदेश तक अभियोजन निदेशालय राज.जयपुर में एंव श्री अजीत सिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर में कार्य करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करे।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो को पूर्ण करते हुये 3 सप्ताह की नियत अवधि में आवश्यक रुप से कार्यग्रहण कर लेवें।
8. निजी पत्रावली/ विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

17/6

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।

Sanjeev/Jr.asstt.2020/NJRs